

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
रामपुर नहर खण्ड, रामपुर

अति-अल्पकालीन निविदा सूचना 07/अ0अ0/2016-17

महामहिम राज्यपाल महोदय उ0प्र0 की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मोहरबंद निविदायें वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 20.03.2017 को सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 20.03.2017 को अधोहस्तारी के कार्यालय कक्ष में मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित समिति द्वारा 3.30बजे अपरान्ह में खोली जायेगी । कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह विड अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी ।

निविदा प्रपत्र दिनांक 17.03.2017 से 18.03.2017 सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एवं अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के कार्यालय, में निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

निविदा प्रपत्र पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सिविल लाइन्स रामपुर से बैंक शुल्क रू0 50.00 प्रति निविदा अतिरिक्त अदाकर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र क्य करते समय 1- पंजीकरण, 2- जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, 3- हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0-2), श्रम विभाग, जिला पंचायत का लाइसेंस तथा रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर स्व:घोषणा पत्र (आई0डी0टी0-3) जो नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा तथा उनकी सत्यापित छाया प्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी । निविदा प्रपत्र ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार को प्रदत्त अधिकार पत्र, जिसमें प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हों, भी जमा करने के पश्चात ही निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है । धरोहर धनराशि/ एन0एस0सी0/ राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के पक्ष में बन्धक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रू0 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी । इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी । नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रोयाल्टी देनी होगी । अनुबंध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा शेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करनी होगी ।

क्रम सं०	लाट सं०	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि लाख	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	1	जनपद रामपुर में बेनजीर माइनर के किमी0 4.400 से 7.240 किमी0 के मध्य नहर के बैंक एवं सर्विस रोड के सुद्वरीकरण का कार्य ।	0.41	एक माह	300+वैट 13.5%	बी एव बी से उच्च

- सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारी का कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा आई0डी0टी0-3 प्रपत्र पर स्व:घोषणा शपथ पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । स्व:घोषणा शपथ पत्र के बिना कोई निविदा स्वीकार/स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- यह निविदा सूचना वैबसाइट (<http://upgov.up.nic.in/infotech/>) तथा सिंचाई विभाग की वैबसाइट [www.idup.gov.in](http://www.idup.gov.in) पर उपलब्ध है । निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वैबसाइट [www.idup.gov.in](http://www.idup.gov.in) से भी डाउन लोड की जा सकती है । किन्तु इसकी लागत अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ आई0डी0टी0-1,आई0डी0टी0-2,आई0डी0टी0-3 व अन्य प्रपत्र अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा । वैबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में व अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के कार्यालय में ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे । वैबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और अधिशासी अभियन्ता रामपुर नहर खण्ड रामपुर में बिक्री के लिये उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा ।
- निविदा प्रपत्र क्य करते समय :-  
अ:- विगत तीन वर्षों में से गत वर्ष तक किसी एक वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर रू0 40.00 लाख या अधिक सम्बन्धी अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट मूल रूप में उपलब्ध करानी होगी ।

ब:- गत तीन वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 40.00 लाख लागत का सिविल निर्माण कार्य संतोषजनक रूप में पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र मूल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अनुभव के साक्ष्य के रूप में अन्तिम बीजक की सत्यापित प्रति एवं अनुबंध की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

4. निविदा प्रपत्र विक्रय से पूर्व यह परिक्षण किया जायेगा कि निविदादाता आई0डी0टी0-1, आई0डी0टी0-2, आई0डी0टी0-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण पत्र तथा उपरोक्त क्रम संख्या 3(अ) व 3(ब) पर वाछित टर्न ओवर एवं अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि ठीक ठीक उपलब्ध करायी है। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र विक्रय पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
6. आयकर, व्यापार, लेवर टैक्स, रायल्टी कटौती नियमानुसार बीजक से की जायेगी।
7. राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टी की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा संकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
8. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
9. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
10. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या उसे धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
11. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक, मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्य/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं। तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण सील्ड निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त करके निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में प्राप्त करायी जायेगी। जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित उपखण्डीय/खण्डीय अधिकारी को समय से सूचित करेंगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खोलने से पूर्व बाक्स में डाला जा सके। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की तिथि, अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
12. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने की तिथि/स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना निविदा जमा होने से तीन दिन पूर्व कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी
13. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदाकाली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
14. निविदा बैंक से क्य करने पर बैंक द्वारा निर्धारित विक्रय चार्ज प्रति निविदा पर नियमानुसार अलग से देय होगा।
15. कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. अनुबन्ध के समय ठेकेदार को इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार इस तरह का कार्य करता है यह संज्ञान में आने पर उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. कार्य में प्रयुक्त होने उप खनिज (गिट्टी, साधारण बालू, बोल्डर, साधारण मिट्टी) की आपूर्ति प्राप्त करते समय बीजक बनाने से पूर्व प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0 11) के साथ रायल्टी जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ठेकेदार से कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
18. उक्त निविदा कार्य हेतु धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है।
19. ठेकेदार/फर्म के नाम अनुबन्ध होने की स्थिति में श्रम विभाग में श्रमिकों का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।